



राजस्थान वित्त निगम  
मुख्यालय: उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर  
H.O.: Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme,  
JAIPUR-302005  
Ph.No.0141-2385522 FAX-0141-2385503  
E-mail:sarojbagadia@rfc.rajasthan.gov.in


क्रमांक: आरएफसी / पीए-21(1)/1998

दिनांक: 20.03.2020

**आदेश**  
(का एवं प्र 868)

शासन सचिव, गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 33 (2) गृह-9/2019 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा कोरोना संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगमों/मण्डलों में आंशिक शट डाउन दिनांक 31.03.2020 तक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में समस्त अनुभागाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.03.2020 तक अपने अधिनस्थ कार्मिकों में से रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थिति देने एवं 50 प्रतिशत कार्मिकों को घर पर ही WORK FROM HOME हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करे। सभी उपमहाप्रबन्धक स्वयं के स्तर से यह सुनिश्चित करावें कि उक्त व्यवस्था से निगम का कार्य प्रभावित न हो।

  
(उर्मिला राजोरिया)  
प्रबन्ध-निदेशक

प्रतिलिपि -

सहायक प्रबन्धक(एम एस) मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश को ई-मेल द्वारा सभी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।